JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, e-mail : info@brlp.in, Website : www.brlp.in

Ref. No: BRLPS/PROJ/497/14/1169 Date: 02nd Jun, 2017

कार्यालय-आदेश

(सदस्यों का व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाना एवं उन खातों को आधार कार्ड से लिंक/जुड़ाव करवाना)

जीविका परियोजना के द्वारा बिहार राज्य के समस्त 534 प्रखंडों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वृहद पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर संगठनों का निर्माण किया जा रहा है। **समुचित क्षमतावर्धन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है ताकि सदस्यों को विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध करवायी जा सके।** क्षमतावर्धन की प्रक्रिया से सामुदायिक संगठनों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। साथ ही संबंधित सामुदायिक संगठनों का जुड़ाव मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं (बैंकिंग व्यवस्था, बीमा व्यवस्था आदि) के साथ करवाया जाता है ताकि आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने में सहायता मिल सके। **इस क्रम में यह महसूस किया गया है कि सामुदायिक संगठनों के अलावा सदस्यों का जुड़ाव मुख्यधारा की वित्तीय संस्थाओं के साथ होना अति महत्वपूर्ण है।** इससे सदस्यों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायता होगी एवं **मुख्यधारा की विषय सम्मत परिस्थितियों से सामन्जस्य बनाने में दृढ़ता आयेगी।**

वर्तमान की परिस्थितियों के आकलन एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि **जीविका परियोजना से जुड़े समूह के सदस्यों के बचत खाते बैंक में खोले जाएंगे एवं उन खातों को सदस्यों की सहमति के उपरांत आधार कार्ड से लिंक/जुड़ाव करवाया जाएगा।** यह भी निर्णय लिया गया है कि **जिन सदस्यों को आधार कार्ड नहीं मिला है, उन्हें सारी प्रक्रियाओं में समाहित करते हुए आधार कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।** इस हेतु जिला प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग से सहयोग प्राप्त कर संबंधित पहल को समुचित दिशा प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त कार्यों को करने हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जा रहे हैं जिसे प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी -

क- समस्त परियोजनाकर्मी इस बात को आत्मसात कर लें कि **सामुदायिक संगठनों के अलावा समूह के सभी सदस्यों का बचत खाता किसी भी बैंक में होना अति महत्वपूर्ण है।** अत: इस हेतु सभी स्तर पर प्रयास

किये जाएँ ताकि जागरूकता बढ़ायी जा सके एवं एक निर्धारित समय सीमा में समूह से जुड़े सदस्यों का बचत खाता बैंक में होना सुनिश्चित किया जा सके।

ख- सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड Mentors इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि इस संबंध में जागरूकता का प्रसार व्यापक रूप से हो। **जिन सदस्यों का बचत खाता पूर्व से है, इसकी सूचना एकत्रित करने एवं उन खातों को भी आधार नम्बर से जोड़ने का कार्य शुरू किया जाए।**

ग- **समस्त परियोजनाकर्मी अपना आधार कार्ड बनवाते हुए यह सुनिश्चित करें कि समूह के सभी सदस्यों का आधार कार्ड बन गया हो।** समूह की बैठकों में आधार कार्ड की जरूरत एवं बनवाने की प्रक्रिया पर चर्चा करवाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस हेतु जिला में अवस्थित सभी परियोजनाकर्मियों को उचित मार्गदर्शन उपलब्ध करवाकर विशेष रणनीति के तहत समस्त कार्यों का क्रियान्वयन हो। **समूह के सदस्यों का आधार कार्ड बनवाना एवं उनके बचत खाते से जुड़ाव करवाना अति महत्वपूर्ण पहलु है।**

घ- **आधार कार्ड की महत्ता को रेखांकित करते हुए समूह के सदस्यों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे बैंक खातों को आधार नम्बर से जुड़ाव करवा सकें।** ऐसा होने से सरकार (राज्य एवं केन्द्र) की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में हस्तानांतरित किया जा सकता है। इस संदर्भ में भी समूह की बैठकों के दौरान जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है एवं इस बावत विशेष जोर देने की जरूरत है ताकि सदस्य अपने खाते खुलवाकर उसे आधार नम्बर से जुड़ाव करवा सकें।

ङ- यह भी जरूरी है कि मार्गदर्शन के अलावा सदस्यों के बचत खाते खुलवाने, आधार कार्ड बनवाने एवं खातों को आधार कार्ड संख्या से जुड़वाने की प्रक्रिया पर शीघ्रतापूर्वक कार्य हो। **समस्त तैयारियों को पूरा करने हेतु समूह की 3-4 बैठकों का उपयोग पूर्ण रूप से इस मद में किया जा सकता है।** सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधकों** एवं **प्रखंड Mentors** को **निदेशित है कि उक्त रणनीति के तहत कार्य करें एवं अतिशीघ्र इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।** सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित है कि पाक्षिक/ मासिक स्तर पर कार्य की समीक्षा हो एवं BPMs तथा Block Mentors के द्वारा किये गये कार्य का आकलन हो।

च- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के सदस्यों द्वारा जिला भ्रमण के दौरान सदस्यों के बचत खाते खुलवाने की प्रक्रिया एवं आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया का आकलन एवं प्रगति की समीक्षा करना अति आवश्यक होगा।

छ- उपर्युक्त वर्णित रणनीति के तहत एवं स्वयं सहायता समूह से संबंधित 3-4 बैठकों का **प्रयोग जागरूकता विस्तार करने के अलावा सदस्यों की जानकारी को संकलित करने के लिए भी करनी चाहिए।** इस हेतु सभी जिलों एवं प्रखंडों को एक प्रपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सदस्यों के विवरण को संबंधित प्रपत्र में संकलित किया जा सके।

ज- ऐसे सदस्य जिनका **बचत खाता आधार नम्बर से जुड़ा हुआ है** और वे मनरेगा या अन्य सरकारी योजनाओं की राशि उस खाते में प्राप्त कर रहें हैं, **उनके उसी खाता संख्या को संबंधित प्रपत्र में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।**

झ- परियोजनाकर्मियों के द्वारा वैसे सदस्यों को सहयोग प्रदान किया जाएगा जिनका बचता खाता अथवा आधार कार्ड नहीं है। **परियोजनाकर्मी संबंधित सदस्यों का बचत खुलवाना, आधार कार्ड बनवाना एवं खातों को आधार कार्ड संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे।** उक्त कार्य को 15 जुलाई 2017 तक करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, प्रखंड Mentors एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की होगी।

ञ- यह जरूरी होगा कि **सदस्यों द्वारा इस हेतु एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से खातों को आधार कार्ड से लिंक करने की सहमति दी है ताकि भविष्य में सरकार (राज्य एवं केन्द्र) की योजनाओं का लाभ सीधे उन्हें उनके खाते के माध्यम से हस्तानान्तरित किया जा सके।** इसके माध्यम से मनरेगा से संबंधित मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही अन्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण से संबंधित प्रोत्साहन राशि, गैस से संबंधित सब्सिडी, राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं के मद की सब्सिडी राशि इत्यादि का भी हस्तानान्तरण सीधे खाते में किया जा सकता है।

ट- सभी जिलों में जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा एक नोडल व्यक्ति (Nodal Person) का चयन जिला एवं प्रखंड स्तर पर किया जाएगा जो उपर्युक्त गतिविधियों के बारे में जिला को अवगत कराते रहेंगे। जिला

परियोजना प्रबंधक के द्वारा इस बावत समस्त जानकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को 07 जून 2017 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस सूचना की प्रति PC-FI, SPM-MIS एवं PM-FL&IS को भी उपलब्ध करवायी जाएगी। संबंधित व्यक्तियों का ई-मेल क्रमश: mukesh@brlp.in, prem@brlp.in एवं ranjan@brlp.in है। नामित नोडल व्यक्ति (Nodal Person) से संबंधित सूचना की जानकारी राज्य स्तर के समस्त पदाधिकारियों को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित नोडल व्यक्तियों की सूचना जिला परियोजना प्रबंधक निम्नलिखित प्रारूप में **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी** को 07 जून 2017 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे -

क्र0 संख्या	**प्रखंड का नाम**	**आधार कार्ड से संबंधित नोडल व्यक्ति का नाम**	**मोबाईल नम्बर**	**ई-मेल आई0डी0**

ठ- इस मद में किये गये **कार्य को वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित व्यक्तियों एवं अन्य परियोजना कर्मियों के आकलन हेतु पर्याप्त महत्व दिया जाएगा।** राज्य की मानव संसाधन इकाई को इस हेतु Appraisal Format में अद्यतन संधारण करने का निदेश दिया जाता है।

ड- सदस्यों की जानकारी एकत्रित करने हेतु संबंधित प्रपत्र में सदस्यों का नाम, खाता संख्या, आधार संख्या तथा अन्य जानकारियों को सावधानीपूर्वक समावेशित करने की जरूरत है। **प्रपत्र में वही नाम तथा spelling दर्ज करनी चाहिए जो आधार कार्ड में दर्ज है। खाता संख्या तथा आधार संख्या दर्ज करते समय संबंधित सदस्य की पासबुक एवं आधार कार्ड को जरूर सत्यापित करने की जरूरत है।** सदस्यों का मोबाइल संख्या भी उनकी सहमति के आधार पर संबंधित प्रपत्र में दर्ज करने की जरूरत है।

ढ- सदस्यों को यह जानकारी उपलब्ध करवानी जरूरी होगी कि अगर कोई सदस्य मोबाईल नम्बर बैंक में जमा करने की सहमति देती हैं तो बैंक खाते से संबंधित जानकारी उस मोबाईल नम्बर पर भी आएगी। संबंधित मोबाईल का उपयोग अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो संबंधित जानकारी उस व्यक्ति को भी होगी। **अत: सदस्य को यह निर्णय करना जरूरी होगा कि मोबाईल नम्बर संबंधित बैंक**

की शाखा में प्रेषित करें की नहीं। अगर सहमति है तो मोबाईल नम्बर को भी प्रपत्र में संकलित करना उपयोगी होगा।

ण- मोबाईल नम्बर का जुड़ाव सदस्य के खाते के साथ होने का **सबल पक्ष यह है कि सभी लेन-देन की जानकारी संबंधित सदस्य के पास होगी** और **किसी भी परिस्थिति में किसी गलत निकासी की भी जानकारी उन्हें तुरंत मिल जाएगी।** वर्तमान परिस्थितियों के साथ सामन्जस्य बनाने हेतु महिलाओं को अपना मोबाईल रखने के लिए प्रेरित करना उचित होगा।

त- सदस्यों से संबंधित जानकारी दर्ज करने हेतु प्रस्तावित प्रपत्र के अलावा दो तरह की सहमति प्रपत्र भी प्रेषित की जाएगी। दोनों सहमति पत्र पर सदस्यों का हस्ताक्षर लेना जरूरी है तथा उसे सावधानीपूर्वक भरते हुए संबंधित विभाग (बैंक एवं जीविका) को जमा करना है। **यह अति आवश्यक है कि सहमति पत्र पर चर्चा समूह स्तर पर हो एवं इसकी जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को भी हो।** सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि परिवार के सदस्य को भी उस पर अंकित विषय को पढ़ायें। साथ ही समूह के किसी सदस्य को भी पढ़वाना चाहिए अगर वे खुद पढ़ी लिखि नहीं है। **समूह स्तर पर सहमति पत्र पर चर्चा करवाना निदेशित है।** पूरी प्रक्रिया में विचार-विमर्श की पारदर्शिता को बरकरार रखना अति महत्वपूर्ण है। सहमति पत्र में लिखे हुए विषय-वस्तु को समूह एवं ग्राम संगठन स्तर पर पढ़कर सुनाना जरूरी होगा। **सभी स्तर के बैठकों में आधार कार्ड एवं बचत खाते से संबंधित विषयों पर हुए चर्चा को कार्यवाही पुस्तिका में जरूर ही संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।**

थ- प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रखंड अवस्थित परियोजनाकर्मी एवं Community Mobilizers का प्रशिक्षण आधार कार्ड से संबंधित उपयोगिता, बैंक खाते से जुड़ाव का महत्व एवं संकलन प्रपत्र तैयार करने हेतु सुनिश्चित की गयी है। प्रशिक्षण में आने हेतु Travel Allowance एवं भोजन की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर की जाएगी।

द- संबंधित प्रशिक्षण में Community Mobilizers को यह सूचित करना जरूरी होगा कि संकलन प्रपत्र तैयार करने हेतु समूह स्तर पर विचार-विमर्श किया जाए। संकलन प्रपत्र तैयार करने हेतु प्रति संकलन प्रपत्र 25 रू0 संबंधित जीविका मित्र (Community Mobilizer) को Incentive के तौर पर दिया जाएगा।

ध- आधार कार्ड से बचत खातों का लिंक होने का प्रमाण पत्र जीविका प्रखंड कार्यालय में जमा करने पर प्रति व्यक्ति 05 रू0 की प्रोत्साहन राशि जीविका मित्र (Community Mobilizer) को दिया जाएगा।

प- संबंधित सामुदायिक उत्प्रेरक का Incentive गणना करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है (यह एक उदाहरण के साथ भी स्पष्ट किया जा रहा है)-

क्र0सं0	समूह का नाम	गॉव का नाम/आधार कार्ड जुड़ाव हेतु तैयार संकनल पत्र (हॉ/नहीं)	अगर हॉ है तो 25 रू0	सदस्यों की संख्या जिनका आधार संख्या का बैंक खातों के साथ जुड़ाव का प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया है	आधार से जुड़ाव हेतु देय राशि (05 रू0/सदस्य)	कुल रकम
1	सीता जीविका स्वयं सहायता समूह	हॉ	25	7	35	60रू0

फ- प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रगति की अद्यतन स्थिति साप्ताहिक रूप से (शुक्रवार) को जिला इकाई को प्रेषित करनी हेगी।

क्र0 सं0	जीविका मित्र (Community Mobilizer) का नाम	संबंधित जीविका मित्र द्वारा संचालित समूहों की संख्या	कुल समूहों की संख्या जिनका संकलन प्रपत्र तैयार है	कुल सदस्यों की संख्या जिनकी जानकारी प्रपत्र में एकत्रित की गयी है	कुल सदस्यों की संख्या जिनका प्रमाणीकरण बैंक से प्राप्त कर लिया गया है

ब- जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रगति की अद्यतन स्थिति हरेक शनिवार को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे:

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	कुल जीविका मित्रों की संख्या	प्रखंड में संचालित कुल समूहों की संख्या	कुल समूहों की संख्या जिनका संकलन प्रपत्र तैयार है	कुल सदस्यों की संख्या जिनकी जानकारी प्रपत्र में एकत्रित की गयी है	कुल सदस्यों की संख्या जिनका प्रमाणीकरण बैंक से प्राप्त कर लिया गया है

संबंधित प्रगति की अद्यतन स्थिति की प्रति को PC-FI, SPM-MIS, PM-FL&IS को क्रमश: mukesh@brlp.in, prem@brlp.in एवंranjan@brlp.in की प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें। **साथ ही राज्य स्तर पर सभी District Mentors को भी इसकी प्रति भेजना सुनिश्चित करेंगें।**

ब- क्षेत्रीय समन्वयक, प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं Block Mentors के द्वारा 5% समूहों के संकलित जानकारी को क्षेत्र में जाकर सत्यापित करना निदेशित है। **यह अति महत्वपूर्ण पहलु है तथा इसमें किसी तरह की कोताही अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है।**

भ- जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि **भरे हुए संकलन प्रपत्र को ग्रामवार सुरक्षित ढंग से कार्यालय में रखा गया है।** इसका उपयोग भविष्य में भी हो सकता है।

म- SPM-MIS को यह निदेशित है कि Data Entry का कार्य निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करने हेतु जिला परियोजना प्रबंधकों को समुचित सहयोग प्रदान करेंगें।

य- इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी परियोजना कर्मियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त वर्णित रणनीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी। इस कार्यालय आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

02/06/17

बालामुरूगन डी0

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि:

1. PCs/SPMs/PMs/SFMs/AFMs
2. OSD/Director/ PS /CFO/AO
3. All DPMs/ In charge DPMs /All Thematic Managers/All staffs of DPCUs
4. All BPMs/ In charge BPMs /All staffs of BPIUs
5. All YPs across different themes
6. IT Section/Account Section
7. Concerned File

समूह का नाम : | समूह गठन की तिथि: | MIS में दर्ज समूह की ID संख्या: | बैंक का नाम:

शाखा का नाम: | बचत खाता संख्या : | अद्यतन ऋण खाता संख्या : (Active Loan Account Number) | गॉव का नाम:

ग्राम संगठन का नाम: | पंचायत का नाम: | प्रखंड का नाम : | जिला का नाम : | राज्य का नाम :

आधार कार्ड नम्बर को सदस्यों के बचत खाते से जुड़ाव हेतु संकलन प्रपत्र

क्र0 सं0	सदस्य का समूह में वर्णित नाम	संबंधित सदस्य का आधार कार्ड के अनुसार नाम	संबंधित सदस्य के पति/पिता का आधार कार्ड के अनुसार नाम (पति/पिता में √ निशान अवश्य लगाएँ)	समूह सदस्य का आधार नम्बर	सदस्य का खाता संख्या (पासबुक के आधार पर सत्यापित करने के उपरांत ही लिखें)	बैंक नाम	शाखा का नाम	IFSC Code	मोबाईल न0 (अगर खुद उपयोग करती हों अथवा चाहती हो कि मोबाईल नम्बर को भी बैंक में प्रेषित कर दिया जाए)	वर्तमान में आधार नम्बर से बैंक खाते के जुड़ाव की स्थिति (हॉ/नहीं)	मोबाईल नम्बर एवं आधार नम्बर को बचत खाते से जोड़ने हेतु संबंधित सदस्य का हस्ताक्षर (अगर सहमत हो)
क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

यह सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी को समूह की बैठक में सदस्यों की सहमति से प्रेषित किया गया है एवं यह त्रुटिरहित है। सत्यापन के लिए पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति ग्राम संगठन में रखी गयी है। साथ ही पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति सहमति पत्र के साथ बैंक में भी जमा की जा रही है। पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति को जीविका के प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को समर्पित करने की भी सहमति सभी सदस्य देती हैं।

अध्यक्ष | **कोषाध्यक्ष** | **सचिव** | **सामुदायिक उत्प्रेरक(CM)** | **सामुदायिक समन्वयक (C.C)**

बैंक प्रति

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
बैंक ....

शाखा .... दिनांक ....

विषय: <u>मेरे बैंक खाता संख्या ....को आधार / UID संख्या से जुड़ाव के सम्बन्ध में।</u>

महोदय / महोदया,

मेरा नाम .... है एवं मेरा बचत खाता संख्या .... आपके बैंक शाखा *(शाखा का नाम)* .... में है । मैं अपनी स्वेच्छा से अपने आधार संख्या को जमा करते हुए यह सहमति देती हूँ :

- UIDAI, भारत सरकार द्वारा मेरे नाम से जारी किया गया आधार संख्या पत्र की एक प्रति आपको समर्पित करती हूँ ताकि आधार नम्बर को मेरे बैंक खाता से जोड़ दिया जाए।
- मेरे आधार नम्बर को मेरे बचत खाते के साथ जोड़ दिया जाए जो NPCI के साथ है। इससे मुझे सरकार (राज्य/केन्द्र) द्वारा संचालित विभिन्न योजना का लाभ सीधे मेरे खाते में आ जाएगा अगर मैं संबंधित योजना की राशि पाने की हकदार/योग्य हूँ। यह लाभ DBT- Direct Benefit Transfer अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ हस्तानान्तरण के तहत किया जाएगा।
- मेरे आधार नम्बर एवं इसमें वर्णित संबंधित जानकारी का उपयोग UIDAI द्वारा मेरी पहचान करने के लिए की जाएगी, एवं
- अपने मोबाइल संख्या जो कि नीचे लिखी गयी है पर SMS द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत करती हूँ।

<u>आधार पत्र / UID का विवरण</u> :

आधार / UID संख्या: ....

आधार पत्र धारक का नाम *(जैसा आधार पत्र में उल्लेखित है)* ....

मैं यह समझती हूँ कि मेरे द्वारा बैंक को प्रस्तुत किये गए सूचनाओं का उद्देश्य केवल उपर्युक्त वर्णित कार्यों में होगा। साझा की गयी जानकारी उपर्युक्त वर्णित कार्यों के अलावा अन्य कार्यो हेतु प्रयोग में नहीं लायी जायेगी ।

आपकी विश्वासी,

(खाताधारी का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)
नाम : ...., मोबाइल संख्या : ....
संलग्नक: स्व अभिप्रमाणित आधार पत्र की छाया प्रति एवं पासबुक की छाया प्रति

X--*ग्राहक प्रति*---------------------------------- ***(प्रमाणीकरण हेतु)*** ------------------------------ X

आधार संख्या का बैंक खाता से जुड़ाव का पुष्टिकरण :

श्रीमान / श्रीमती .... के खाता संख्या ....जो बैंक .... शाखा .... से संबंधित है, का जुड़ाव आधार/ UID संख्या: .... एवं मोबाइल संख्या .... के साथ कर दिया गया है ।

दिनांक .... **(अधिकृत बैंक पदाधिकारी)**

सहमति पत्र

मैं, (नाम).., आधार संख्या ....

यह सहमति देती हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार एवं NRLM, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार मेरे आधार संख्या का उपयोग DAY-NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने हेतु कर सकता है ।

(हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

दिनांक:

नाम:

संलग्नक: स्व अभिप्रमाणित आधार पत्र की छायाप्रति

द्वारा प्रमाणित :	
(हस्ताक्षर)	अध्यक्ष-
नाम:	सचिव-
पद:	कोषाध्यक्ष-
मोबाईल नम्बर:	समूह के प्रतिनिधियों का नाम एवं हस्ताक्षर
पता:	